

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रमारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

करण संख्या: 24/2021

प्रार्थीगण :-

1. मूलाराम वल्द हीराराम वगैरा (5)
कौम जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. अमराराम वल्द हीराम वगैरा (86)
87. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री चिमनसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 15.12.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प राणासर खुर्द पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070-2073 सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 84-18 बीघा, खसरा नम्बर 111 रकबा 62-04 बीघा, खसरा नम्बर 175 रकबा 9-02 बीघा, 175/2 रकबा 9-01 तथा मौजा नई बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 33-08 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 84-18 बीघा, खसरा नम्बर 111 रकबा 62-04 बीघा, खसरा नम्बर 175 रकबा 9-02 बीघा, 175/2 रकबा 9-01 तथा मौजा नई बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 33-08 बीघा के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT एवं गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहसीर जारी होने पर गुड़ामालानी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फौसल सुमर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.12.21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय राणासर खुर्द में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी